राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि / नरेगा / आधार / पार्ट–I / 80830 / 2015 जयपुर, दिनांक : 25 NOV 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आधार आधारित भुगतान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक अ.शा.पत्र दिनांक 23.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के आधार नंबर का लिंकेज उनके बैंक खाते के साथ किये जाने के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया था, इसके पश्चात भी कुछ जिलों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

आधार सीड़िंग एवं ABPS (Aadhar Based Payment System) भुगतान के संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. जॉब कार्ड सत्यापन के साथ ही श्रमिकों के आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं ABPS भुगतान हेतु लाभार्थी के स्वहस्ताक्षरित / अंगूठा निशानी सहित सहमति पत्रों (Consent Forms) की सूचना ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त की जावे।
2. प्राप्त किये गये आधार नम्बर एवं सहमति पत्रों की प्रति संबंधित बैंक में विकास अधिकारी–सह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से जमा करवाई जावे।
3. विकास अधिकारी सह–कार्यक्रम अधिकारी द्वारा **प्रत्येक शुकवार** को संबंधित सप्ताह तक प्राप्त किये गये कुल सहमति पत्रों की संख्या की सूचना (सहमति पत्रों की प्रति की आवश्यकता नहीं) **बैंक एवं शाखावार** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को जरिये ई–मेल (संलग्न प्रपत्र अनुसार) उपलब्ध करवाई जावेगी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा पंचायत समितियों से प्राप्त **सहमति पत्रों की बैंक शाखावार** संख्या जिला स्तर पर इकजाई कर प्रत्येक सोमवार को जिले के LDM (Lead District Manager) को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाई जावे एवं एक प्रति जरिये ई–मेल (nrega.raj@gmail.com) पर आयुक्त, ईजीएस को भी भिजवाई जावें।
5. प्रत्येक सोमवार को उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए LDM (Lead District Manager) से पुर्व सप्ताह तक जमा करवाये गये सहमति पत्रों के आधार पर बैंक खाते के साथ आधार नम्बर के लिंकेज की प्रगति की समीक्षा की जावे।

उक्तानुसार तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर समस्त श्रमिकों को ABPS से जोडे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जावे।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(देबाशीष पृष्टि)
आयुक्त, ईजीएस
25.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

H:\SKM 2014-15\MIS letter.docx

Format for data on Consent Forms for ABPS

District Name:-------

S. No.	Block Name	Bank & Branch name	No. of Consent Forms sent to Banks
1			
2			